

**वित्त मंत्रालय**  
**मांग संख्या 38**  
**अप्रत्यक्ष कर**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		...1424.86	1424.86		...1286.86	1286.86		...1069.91	1069.91		
पूंजी		... 285.10	285.10		... 257.10	257.10		... 40.10	40.10		
<b>जोड़</b>		<b>...1709.96</b>	<b>1709.96</b>		<b>...1543.96</b>	<b>1543.96</b>		<b>...1110.01</b>	<b>1110.01</b>		
<b>सीमा शुल्क</b>											
1.	सीमा शुल्क संग्रह	2037	...	374.12	374.12	...	376.64	376.64	...	386.00	386.00
2.	तट रक्षक संगठन	2037	...	255.00	255.00	...	255.00	255.00	...	...	...
		4047	...	245.00	245.00	...	235.00	235.00	...	...	...
	जोड़		...	500.00	500.00	...	490.00	490.00	...	...	...
3.	सीमा शुल्क पर अन्य व्यय										
3.01	सीमा शुल्क कल्याण निधि	2037	...	10.00	10.00	...	7.50	7.50	...	10.00	10.00
3.02	अन्य मदें	2037	...	0.70	0.70	...	0.68	0.68	...	0.72	0.72
		4047	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
	जोड़		...	0.80	0.80	...	0.78	0.78	...	0.82	0.82
	<b>जोड़-सीमा शुल्क पर अन्य व्यय</b>		...	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>	...	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>	...	<b>10.82</b>	<b>10.82</b>
<b>संघ उत्पाद शुल्क</b>											
4.	केंद्रीय उत्पाद शुल्कों का संग्रह	2038	...	599.02	599.02	...	597.86	597.86	...	621.49	621.49
5.	बैंडरोल तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क टिकटों तथा लेबलों का मुद्रण आदि	2038	...	11.68	11.68	...	11.68	11.68	...	11.90	11.90
6.	अन्य व्यय										
6.01	निरीक्षण निदेशालय	2038	...	8.07	8.07	...	8.49	8.49	...	8.90	8.90
6.02	सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय	2038	...	2.99	2.99	...	2.99	2.99	...	3.20	3.20
6.03	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स अकादमी	2038	...	6.33	6.33	...	6.33	6.33	...	6.75	6.75
6.04	प्रचार और जनसम्पर्क निदेशालय	2038	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75	...	2.95	2.95
6.05	अपवंचन रोधी निदेशालय	2038	...	11.69	11.69	...	11.69	11.69	...	12.30	12.30
6.06	अधिक कर की वापसी पर ब्याज	2038	...	138.00	138.00	...	...	...	...	...	...
6.06	अन्य	2038	...	4.51	4.51	...	5.25	5.25	...	5.70	5.70
	<b>जोड़-अन्य व्यय</b>		...	<b>174.34</b>	<b>174.34</b>	...	<b>37.50</b>	<b>37.50</b>	...	<b>39.80</b>	<b>39.80</b>
7.	तैयार-निर्मित आवास की खरीद										
7.01	कार्यालय भवन	4059	...	6.00	6.00	...	12.00	12.00	...	10.00	10.00
7.02	रिहायशी भवन	4216	...	34.00	34.00	...	10.00	10.00	...	30.00	30.00
	जोड़		...	40.00	40.00	...	22.00	22.00	...	40.00	40.00
	<b>कुल जोड़</b>		...	<b>1709.96</b>	<b>1709.96</b>	...	<b>1543.96</b>	<b>1543.96</b>	...	<b>1110.01</b>	<b>1110.01</b>

1. इस मांग में सीमा शुल्क स्कंध के स्थापना व्यय और अन्य व्यय के लिए और छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क चौकियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध द्वारा किए गए सीमा शुल्क संग्रह के कार्य के संबंध में उसको आनुपातिक प्रभारों की अदायगी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2. इसमें तट रक्षक संगठन के व्यय के लिए प्रावधान शामिल है जो ब.अ. 2002-2003 से मांग संख्या 15, रक्षा मंत्रालय (सिविल) में अंतरित हो गया है।

3. इसमें सीमा-शुल्क कल्याण निधि के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अन्य विभागों आदि को भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।

4. यह प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन के स्थापना व्ययों और संघीय उत्पाद शुल्क संग्रह के संबंध में किए जाने वाले अन्य व्ययों के लिए है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध कुछ स्थानों पर, जैसे छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों में सीमा शुल्क संग्रह संबंधी कार्य भी करता है जिसके लिए सीमा शुल्क स्कंध से आनुपातिक आधार पर खर्च वसूल कर लिया जाता है।

5. यह प्रावधान मैच उत्पाद शुल्क बैंडरोल और केंद्रीय उत्पादशुल्क स्टाम्पों और लेबलों के मुद्रण की लागत का द्योतक है।

6. इसमें मुख्यतः निरीक्षण, सांख्यिकी और आसूचना, प्रशिक्षण, सतर्कता, प्रचार और जन-सम्पर्क निदेशालय, प्रणाली निदेशालय और अपवंचन रोधी निदेशालय पर होने वाले स्थापना व्यय और अन्य व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

7. इसमें सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विभागों के संबंध में तैयार निर्मित कार्यालयीन भवनों की खरीद हेतु 10 करोड़ रुपए तथा तैयार निर्मित आवासीय भवनों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।